



राजस्थान सरकार  
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ, (चूरु)  
जिला - चूरु  
राज्य के अन्य पिछडे वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछडा वर्ग / 10187495747  
दिनांक: 01-04-2019  
आवेदक का आधार नम्बर : 452417867243  
आवेदक / परिवार के मुखिया का भामाशाह कार्ड संख्या : 9999-04XR-00197

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

- 01 श्री अनजय पुत्र/पुत्री श्री जोगेन्द्र सिंह राजस्थान राज्य के जिला चूरु पता- 50, गुदी डाबर, गुलपुरा, राजगढ, चूरु के/की निवासी हैं तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
- 02 उक्त श्री अनजय राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प-11(164) आर.एण्ड पी./एस जे.ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछडे वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 28 JAT (28 जाट) वर्ग/जाति के/की सदस्य है।
- 03 उक्त श्री अनजय आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के किमीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8) कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लेखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार किमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

नोट :

- 1 : राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
- 2 : उपरोक्त प्रमाण-पत्र किबोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
- 3 : धार्थी द्वारा पस्तुत किये गए मूल दस्तावेज एवं एवं सम्बंधित दस्तावेजों को प्रमाणित एवं अधिकारी चिह्नित हस्ताक्षर से जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
- 4 : यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
- 5 : धार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.emitra.rajasthan.gov.in](http://www.emitra.rajasthan.gov.in) पर क्लिक ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 190195659880

\* राज्य के पिछडे वर्ग के जिन सम्बन्धित सरकार के अधीन सेन जो से नियोजित और पदोन्नत राज्य की वैधिक संस्थानों में होते में आरक्षण के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ, (चूरु)

Signature valid

Digitally signed by SINGH  
HIMMAT  
Date: 2019.04.01 13:13:27  
+05:30  
Reason: Approved  
Location: Rajasthan

